संख्या– 116 /VI-I/2008–2(01)2007

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति अनुभाग : देहरादून दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय :–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आडिटोरियम के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1900/स.नि.उ./दो–3/2007–08 दिनांक–11 जनवरी, 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त पत्र द्वारा प्रेषित पुर्नविनियोग प्रस्ताव पर संलग्नक क, के अनुसार पुर्नविनियोग किए जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न कार्यो हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 1690.14 लाख (रू0 सोलह करोड़ नब्बे लाख चौदह हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हुए कालम– 5 में अंकित रू0 350.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) धनराशि व्यय किए जाने का सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क. सं.	प्रस्तावित आडिटोरियम स्थल का नाम	आंगणन की धनराशि	परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1.	2	3	4	5
1.	देहरादून में आडिटोरियम का निर्माण	178.65	167.37	40.00
2.	हरिद्वार में आडिटोरियम का निर्माण	178.65	167.37	40.00
3.	टिहरी में आडिटोरियम का निर्माण	206.36	190.07	40.00
4.	उत्तरकाशी में आडिटोरियम का निर्माण	216.75	199.36	40.00
5.	रूद्रप्रयाग में आडिटोरियम का निर्माण	216.10	198.82	40.00
6.	जोशीमठ (चमोली) में आडिटोरियम का निर्माण	234.81	217.29	40.00
7.	उधमसिंहनगर में आडिटोरियम का निर्माण	178.65	167.37	40.00
8.	चम्पावत में आडिटोरियम का निर्माण	208.96	189.28	35.00
9.	बागेश्वर में आडिटोरियम का निर्माण	213.63	193.21	35.00
		1832.56	1690.14	350.00

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुरितका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है

3. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुरितका, बजट मैनुअल, भण्डार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एन0डी0 दरों पर किया जाएगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जाएगा।

4. समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा किसी भी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

5. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भव से ली गयी हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें, निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य कराया जाये।

10. आंगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय न की जाय।

11. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कनमे के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

12. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री किसी प्रयोगशाला से टेस्टीग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

13. जी.पी.डब्लू फार्म 09 की शर्तो के अनुसार निमार्ण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा कार्य को समय से पूर्ण न करने पर दस प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण बकाया से दण्ड वसूल किया जायेगा।

14. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं.0-2047/XIV-219(2006) दिनांक- 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भूमि उपलब्ध है। धनराशि का आहरण भूमि उपलब्धता पर किया जायेगा।

16. सामग्री कय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कडाई से करना सुनिश्चित किया जाय।

17. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

18. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

19.उक्त कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा विलम्ब की दशा में आंगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

20.कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी की भी व्यवस्था की जायेगी, जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय सेन्टेज चार्ज से वहन किया जायेगा।

21.आडिटोरियम के रख-रखाव हेतु पद का सृजन नहीं किया जायेगा, तथा उक्त की व्यवस्था भी जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

22. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2205 के आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के संगत मानक मदों के नामें में निम्नानुसार डाला जाएगा :-

(क) अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04 कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजना/केन्द्र पुरोधानित परियोजना (50 प्रतिशतकेन्द्र सहायता-0102-उदयशंकर नृत्य अकादमी की स्थापना-24 वृहद निर्माण कार्य की बचत से रू0 50.00 लाख एवं 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04 कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजना/केन्द्र पुरोधानित परियोजना (50 प्रतिशत केन्द्र सहायता-0103-देहरादून में राज्य स्तरीय

सांस्कृतिक परिसर–24 वृहद निर्माण कार्य की बचत से रू0 200.00 लाख अर्थात कुल 250.00 लाख की धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04 कला एवं संस्कृति–800–अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोधानित परियोजना (50 प्रतिशत केन्द्र सहायता)–0103–प्रत्येक जनपद में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना–24 वृहद निर्माण कार्य में डाला जायेगा। उक्त पुनर्विनियोग संलग्न–क के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

23. उपरोक्त पुनर्विनियोग संलग्न क के कालम–1 के बचतों से वहन किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–934(पी) /वित्त अनु0–3/2007दिनांक–18, मार्च 2008, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 116 /VI-1/2008–2(1)2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/उधमसिंहनगर/चम्पावत/बागेश्वर।
6. महा प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निमार्ण निगम
7. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

आय–व्ययक प्रपत्र–15

पुनर्विनियोग का विवरण पत्र 2007–08

प्रशासनिक विभाग–संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड शासन
नियंत्रक अधिकारी–निदेशक संस्कृति

अनुदान संख्या–11

आयोजनागत
(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधि व्यय	वित्तीय वर्ष की शेषअवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04–कला एवं संस्कृति 800–अन्य व्यय– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (50 प्रति0के0स0) 0102–उदयशंकर नृत्य अकादमी की स्थापना 24–वृहत्त निर्माण कार्य 5000	–	–	5000	4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04–कला एवं संस्कृति 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (50 प्रति0के0स0) 0104–प्रत्येक जनपद में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना 24– वृहत्त निर्माण कार्य 25000	35000	– –	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटकों की प्रस्तुतियों, विचार गोष्ठी आदि के आयोजन हेतु एक–एक मिनी प्रेक्षागृह निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु में भुगतान हेतु 0104– प्रत्येक जनपद में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना 24– वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष में रूपये 100.00 लाख मात्र धनराशि प्राविधानित की गयी है जो कि मांग की अपेक्षा काफी कम है। 9 जनपदों में मिनी प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु रूपये 250.00 लाख मात्र अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से नितान्त आवश्यकता है।
0103–देहरादून में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक परिसर की स्थापना 24–वृहत निर्माण कार्य 20000	–	–	20000				
रू0 25000	–	–	25000	25000	35000	–	–

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मेनुअल के प्रस्तर 150,155, 156 में प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(सुवर्धन)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–934(1)(1) XXVII (3)/2007
देहरादून दिनांक– 12 मार्च, 2008

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी
ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।

पुर्नविनियोग की स्वीकृति।

(एल.एम.पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या–116 /VI-I/2008–4(13)2007 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

आज्ञा से,